पंजीकृत डाक से, पावती सहित

क्रमांक सं. 2620/आरटीआई/प्र.अ. 01/2016 10 मई, 2016

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी / बैंक)
<u>प्रथम अपील क्र. 01/2016</u>

अपीलार्थी : श्री होरीलाल शर्मा, धनौरा, बुलन्दशहर - 203203, उत्तर प्रदेश

<u>निर्णय</u>

प्रस्तावना :

श्री होरीलाल शर्मा, अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र दिनांक 28/01/2016 द्वारा कुछ सूचानांए मांगी गई थी जिसके उत्तर में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा 15/03/2016 को आदेश सं.1780 पारित किया गया है । उत्तर से संतुष्ट न होने के कारण् अपीलार्थी द्वारा 06/04/2016 को अपील प्रस्तुत की है जो मुझे 26/04/2016 को प्राप्त हुई है ।

<u>निर्णय</u> :

मैने अपीलार्थी द्वारा प्रेषित दिनांक 28/01/2016 का आवेदन पत्र जो केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को 16/02/2016 को प्राप्त हुआ, एवं बैंक के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 15/03/2016 के आदेश सं.1780 तथा अपील का भली भांति अवलोकन किया है । केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि 28/01/2016 का आवेदन पत्र दिनांक 16/02/2016 को प्राप्त हुआ जिसका आदेश 15/03/2016 को जारी किया गया जो समय अवधि के अंदर है। अपीलार्थी का कथन की सूचना विलम्ब से प्राप्त हुई है स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सूचना समयावधि के अन्दर ही प्रेषित की गई है।

अपीलार्थी के कथनानुसार सूचना या तो उपलब्ध नहीं करायी गई है अथवा सूचना अपूर्ण, अस्पष्ट एवं भ्रामक है। मैने भली भांति अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक

Contd..2/-

15.3.2016 के आदेश क्र. 1780 का अवलोकन किया है तथा मेरे विचार से जो भी सूचना उपलब्ध थी वो प्रदान करा दी गई है जो सूचना उपलब्ध नहीं है उसे प्रदान कराने का कोई आधार नहीं है।

मेरे विचार से केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के 15.03.2016 के आदेश क्र. 1780 में त्रुटि नहीं है अतः अपील निरस्त होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील निरस्त की जाती है

आदेश की प्रति पक्षकारों को प्रेषित की जाये ।

शैमहलवार

[शैलेन्द्र महलवार]

मुख्य महाप्रबंधक तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी